राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

वाहन चालकों की दर संविदा हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ,
.....
.....
.....
2. डाक का पता एवं टेलिफोन नं0 लैण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित एवं पेन नम्बर
.....
.....
.....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
.....
.....
.....
4. निविदा शुल्क रू. 200/– : डीडी सं.....दिनांक .....
5. बिड सिक्योरिटीः Bid-Securing 2% Estimated cost
डीडी/बैंकर चैक ..... दिनांक .....
6. डीडी/बैंकर चैक– **उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के नाम से जारी किये जाने है।**
7. निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' जॉब आधारित वाहन चालक की सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित है। तथा वित्तीय निविदा प्रपत्र को अलग सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी है।
8. **जॉब आधारित वाहन चालक की सेवा कार्य हेतु प्रपत्र –'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढाया जा सकता है।**

निम्न दस्तावेज अवश्य संलग्न करें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगाः–

1. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
3. फर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता मय फोन नम्बर एवं ई–मेल
4. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 अन्तर्गत पंजीयन
5. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम,1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन
6. पूर्व में समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी राजकीय विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का घोषणा पत्र

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

<u>निविदा की शर्ते</u>

1. निर्धारित निविदा शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी राशि (Bid-Securing 2% Estimated cost) **उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग**, जयपुर के नाम बैंकर चैक/डीडी द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे
2. निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र को अलग–अलग सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी है। तकनीकी बिड में सफल होने वाली फर्म की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
3. सफल निविदादाता को अनु0 लागत की **5 प्रतिशत** राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी।
4. फर्म द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का 5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक का टर्नओवर सी.ए. से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा लगाये जाने वाले वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन करवाकर देना होगा।
6. निविदाएं उन पंजीकृत फर्मो द्वारा ही दी जानी चाहिए जो अनुबंधित कार्मिकों के कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखते हो।
7. लगाये जाने वालें वाहन चालकों को अत्यधिक भारी वाहनों के संचालन का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, क्योंकि विभाग में संचालित मोबाईल व्हैब्रिज वाहन धर्मकांटों के सत्यापन के लिए है, जिनमें क्रेननुमा यंत्र सम्मिलित है।
8. निविदा में एक से अधिक फर्मो की समान दरें होने की स्थिति में सबसे लाभप्रद प्रस्ताव पर विभाग की कमेटी द्वारा किया गया निर्णय सर्व मान्य होगा
9. उक्त निविदा में प्रथम अपीलय अधिकारी, निदेशक एवं द्वितीय अपीलय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव महोदय, उपभोक्ता मामले विभाग रहेगा।
10. बोली दस्तावेज में सशर्त प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किये जाने एवं बोलीदाताओं से प्राप्त बोली राशियों में शब्दों एवं अंकों में अन्तर होने पर, विभाग द्वारा जो भी न्यूनतम होगा पर विचार किया जावेगा।
11. आरटीपीपी नियम 2013 नियम 29 (ज) के अनुसार प्राइस फाल का नियम लागू होगा।
12. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा एवं श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तदायी होगा। श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह संवेदक को स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। श्रम नियमों की अनुपालना का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एजेन्सी का होगा।
13. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित रूप से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई. एस. आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की – कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. निविदा स्वीकार होने की दशा में कार्यालय के साथ संस्था/एजेन्सी का अनुबन्ध किया जाएगा जिसकी पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
16. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा बहन किया जायेगा इसके लिये इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नहीं किया जायेगा।
17. यदि सेवा एजेन्सी द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है या संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, या कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संवेदक की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये अन्य सेवा एजेन्सी से दर प्राप्त कर उन्हें ठेका दिये जाने का पूर्ण अधिकार संबंधित विभाग को होगा।
18. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगे, उन्हे मानक प्रयोगशालाओं यथा **अजमेर एवं कोटा** कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सायं 6.00 बजे तक रूकना होगा। यदि सेवा–संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्चात अथवा अन्य जिलों में वाहन के संचालन हेतु आवश्यकता रहती है, तथा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पडती है, तो उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। जिसके लिए जिसके लिए नियमानुसार भुगतान देय होगा।
19. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।
20. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
21. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्था को ही किया जावेगा। भुगतान के संबंध में इस कार्यालय का सेवा व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।
22. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अनुपस्थित दिनों का वेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जायेगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कही से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
23. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु विभागीय मुख्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
24. उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था की होगी।
25. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
26. सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए वाहन चालक की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सकें।

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

27. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर पर प्रस्तुत करने होंगे। कार्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता का कोषालय से ऑनलाईन द्वारा भुगतान किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।
28. वाहन चालक को प्रपत्र 'ब' के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
29. वाहन चालक के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा वाहन चालक के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।
30. वाहन चालक की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना मय चालानों की प्रति के अगले माह के बिल के साथ उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में वाहन चालक dks fd;s x;s Hkqxrku dk fooj.k Hkh vkxkeh ekg ds fcy ds lkFk fuEu izk:i esa izLrqr fd;k tkuk vfuok;Z gksxk %&

s.no.	Name of driver	UIN no.	Name of office	Basic salary	No. of present days	Total salary payable	Employee's contribution			Net amount paid to Employee (7-10)	Employer's contribution			Total (7+14)		Agency services charge	Total (15+16+17)
							EPF	ESI	Total (8+9)		EPF	ESI	Total (12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Total	
																SGST	
																CGST	
																Grand Total	

31. यदि उपलब्ध कराये गये वाहन चालक किसी कारण सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर द्वारा सूचित करने पर 03 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करानी होगी, अथवा सफल निविदादाता पर उचित पैनल्टी लगाए जाने का अधिकार उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर का होगा।
32. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
33. यदि वाद उत्पन्न होने की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जयपुर होगा।
34. अन्य आवश्यक उल्लेख जो कि RTPP एक्ट 2012 एवं नियम 2013 की पालना में हो।
35. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है–

क.स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं				

RajKaj Ref 11850259
Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

	उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पेन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम,1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

वाहन चालक हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी%&

वाहन चालक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से न्यूनतम कक्षा 10 उत्तीर्ण। **और** हिन्दी व अंग्रेजी भाषा समझना, बोलना एवं लिखना तथा सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान **और** वाहन चालक के पास अत्यधिक भारी वाहनों के संचालन हेतु वैद्य लाइसेंस अपरिहार्य है

36. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधारः– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युतरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा, और

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तक तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्ति रकम अभिभावी होगी।

37. सत्यनिष्ठा संहिताः– उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, ईनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह कर रहा हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

RajKaj Ref 11850259
Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation: Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड़) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्य क्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

38. हित का विरोधः–

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिको और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हो या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाहय क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृति के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है, जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिक की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है

RajKaj Ref
11850259
Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि –

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड़) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्व किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाईन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये है, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्व है और नहीं संबद्व रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तो से प्रतिबंधित रहूंगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

प्रपत्र 'ब'

वाहन चालकों की सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता

:–.....

.....

.....

वित्तीय निविदा

क्र. सं.	सेवा का नाम / श्रमिक की श्रेणी	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की संख्या	विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति व्यक्ति	फर्म द्वारा कार्मिकों को देय पारिश्रमिक	EPF दर 13.15% राशि रू.	ESI दर 3.25% राशि रू.	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वाहन चालक	02 (कोटा एवं अजमेर)	7358					

1. उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या 1 से 4 की पूर्तियां इस विभाग द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित की जाकर उपलब्ध कराई गई है तथा कॉलम संख्या 5 से 9 तक संवेदक / बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. संवेदक / बोलीदाता को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

प्रपत्र– 'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं, हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा इकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोष प्रद कार्य नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

मो.नं.

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

F89/Estt/LM-01(87)/2017-00447 जयपुर, दिनांक

निविदा सूचना

उपभोक्ता मामले विभाग में एक वर्ष के लिए 02 वाहन चालको की आवश्यकता है। अतः वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार वाहन चालक की सेवाये उपलब्ध करवाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	जॉब बेसिस सेवा संबंधी विवरण	संख्या	अनुमानित लागत	बिड सिक्यूरिटी 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क	भरी हुई निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि
1	वाहल चालक	2	3,50,000/–	7000/–	200/–	30.12.2024 (दोप. 1.00 बजे तक)	30.12.2024 (दोप 3.00 बजे)

UBN No .- .....

उप निदेशक,
उपभोक्ता मामले विभाग

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक ..... तक कराने की व्यवस्था करावें।
3. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
4. उप नियत्रंक, विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
5. लेखाधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि खुली निविदा सूचना एवं संलग्न शर्ते मय निविदा प्रपत्र को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करे।
7. उक्त सूचना www.sppp.raj.nic.in उपलब्ध है।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय
9. कार्यालय पत्रावली।

उप निदेशक,
उपभोक्ता मामले विभाग

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

Technical BID (CHECK LIST)
To be filled by the bidder

(Information to be provided alongwith the Tender Documents and requisite BID SECURITY. Without Bid security the Tender shall not be considered for Evaluation)

SN	Particulars	Details to be filled by bidder	Page No.
2	**Name of the Owner** (Enclose verification from respective bank/Partnershhip Deed/Memorandum of Articles and Association etc.)		
3	**Address:-** **i. Office Address, Phone No, Fax No, Email** **ii. Factory Address Phone No, Fax no, Email**		
5	**Latest GST Return** (Enclose payment copy of latest Challan of last quarter		
7	**BID Security** (Mention Details of DD/BC)	**DD/BC No…….** **Name of bank……**	
8	**Work Experience. Name of users to whom supplies have been made in the last Three years** (Enclosed list)		
9	**Copy of last three year audited annual accounts for turn over**		
10	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970		
11	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952		
12	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948		
13	वस्तु एवं सेवाकर (GST)		
14	आयकर (पेन नम्बर)		
15	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम,1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		
16	आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में घोषणा पत्र		

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन सेवाओं के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम के अन्तर्गत सेवा प्रदाता **हूँ/है ।**

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

RajKaj Ref
11850259

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jhala
Designation : Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:15:21 IST
Reason: Approved